(b) The information in respect of Coal India Limited and Singareni Collieries Company Limited is as under:—

Year	%age of total production			
	Coal India Limited		Singareni Collieries Company Limited	
	Under-ground	Open-cast	Under-ground	Open-cast
1990-91	30	70	63	37
1991-92	28	72	60	40
1992-93	27	73	60	40

(c) The inherent quality is independant of method of mining viz. opencast or underground. However, in underground mining the deterioration of quality of coal is minimal as compared to opencast mining where there are higher chances of extraneous overburden material getting mixed with the coal during mechanised/bulk mining operations.

(d) Steps taken to augment underground coal production, inter-alia, include opening of new mines, modernisation of existing mines, application of new technologies to achieve maximum results and ensuring timely availability of inputs and infrastructural facilities.

कोयला कम्पनियों द्वारा पुनर्वास कार्य किया जाना

1769. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयला कंपनियां पुनर्वास कार्य को प्राथमिकता दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान कम्पनीवार कितनी भूमि अर्जित की गई है और कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं;

(ग) कितने व्यक्तियों को पुनर्वास सुविधा प्रदान की गई है तथा कितने व्यक्तियों को अभी पुनर्वासित किया जाना शेष है; और

(घ) पुनर्वास कार्य को तेज करने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) पुनर्वास कार्य एक सतत प्रक्रिया है और इसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के साथ प्राथमिकता दी जाती है ।

(ख) और (ग) ये रिकार्ड आकार में काफी बड़े स्वरुप के है और सरकार द्वारा केन्द्रीकृत रूप में इन्हें नहीं रखा जाता है । सूचना को एकत्रित करने और उसको संकलित करने में लगी समयावधि और किए गए प्रयास, इस संबंध में प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे ।

(घ) पुनर्वास कार्यकों, अन्य बातों के अलावा, त्वरित करने के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:—

(i) विशिष्ट परियोजना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जहां तक कि भूमि अधिग्रहण, विस्थापित परिवारों का विनिर्दिष्टकरण और मुआवजे के लिए हकदारी का संबंध है ।

(ii) विभिन्न स्तरों पर आवधिक बैठकें यह देखने हेतु कि जो व्यक्ति विस्थापित हुए हैं, उन्हें कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े ।

(iii) मुआवजे पर और/अथवा रोजगार देने के मामले में नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार त्वरित निर्णय ।

कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति में विलम्ब

1770. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला परियोजनाओं को 6 माह के भीतर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सिद्धान्त के बावजूद इन्हें स्वीकृति देने में 6 माह से अधिक समय लग गया है, यदि हां, तो इस बारे में विलम्ब के क्या कारण है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजना के मामले में स्वीकृति देने में लगे समय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को छः माह के भीतर स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) नई परियोजनाएं जोकि 50 करोड़ रु० से ऊपर की है उनकी समीक्षा और मूल्यांकन की वर्तमान प्रक्रिया में निम्न शामिल है–प्रारंभ में मंत्रालय द्वारा गहन मूल्यांकन, सरकार ने विभिन्न अन्य अभिकरणों द्वारा मूल्यांकन, अन्तर मंत्रालयीय दल और सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा विचार और इसके बाद सक्षम प्राधिकारी से निवेश निर्णयों हेतु स्वीकृति प्राप्त करना अन्तर्निहित है सभी कोणों से एक विस्तृत मूल्यांकन विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों द्वारा यह सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक है कि एक बार परियोजना सवीकृत होने पर भूमि, वन भूमि और अन्य आवश्यक आवश्यकताओं की कीमतों से इसके कार्यान्वयन में देरी नहीं होगी । इस प्रकार कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की कोई निर्धारित सीमा नहीं है । किन्तु जहां कहीं सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा पूर्व में ही सिफारिश कोई परियोजना, जिसमें सरकार को प्रस्तुत किए जाने में विलंब होता है; उसमें सार्वजनिक निवेश बोर्ड के अध्यक्ष की विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त की जाती है ।

वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान सरकार ने 11 नई कोयला परियोजनाएं स्वीकृत की है, जिसमें अंतिम स्वीकृति के लिए 2 से 5 वर्षों की सीमा तक समयावधि लगी है किन्तु इन 11 कोयला परियोजनाओं में से 9 में अग्रिम कार्रवाई योजना प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण कार्य, इत्यादि को शुरू करने के लिए स्वीकृत कर दी गई हैं । एक बार अग्रिम कार्रवाई की स्वीकृत हो जाने पर परियोजना की स्वीकृति एक सामरिक मद के रूप में नहीं रह जाती है चूंकि स्थल पर पूर्व में ही विभिन्न गतिविधियों––जैसे भूमि अधिग्रहण, वन भूमि, पर्यावरणीय स्वीकृति इत्यादि पर कार्रवाई पहले ही शुरू हो जाती है। कोयला परियोजनाओं को आठवीं योजना के समग्र स्रोतों के भीतर त्वरित स्वीकृति हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

Investment in Coal Industry

1771. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Rs. 15,966 crores have been invested in the coal industry upto 1991-92 since nationalisation;

(b) what was the targeted production after the above mentioned investment in terms of quality and quantity; and

(c) what is the actual production achieved in terms of quality and quantity so far?